

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
अभियुक्त सन्जु जाट सहित श्री राधामोहन शर्मा
अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
अभियोजन साक्षी डॉ.राहुल सिंह अ.सा.01 उपस्थित।
परीक्षण, प्रति-परीक्षण पश्चात् मुक्त किये गये।
शेष अभियोजन साक्षीगण को समन के माध्यम से
साक्ष्य हेतु आहूत किया जाये।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक :-
09/07/2018 को पेश हो।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी.,गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत्।
इसी प्रकम पर आवेदक/फरियादी रामवीर सिंह पुत्र
लच्छीराम बघेल स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित है पक्षकारों
के मध्य आपसी पृकृति का विवाद है प्रकरण में आपसी
समझौते के आधार पर निराकरण की प्रबल संभावना को
दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्ष को समझाइश दी गई।
प्रकरण मीडिएशन कार्यवाही हेतु तहसील विधिक सेवा
प्राधिकरण गोहद को रैफर किया जा रहा है।
रैफरल ऑर्डर जारी हो।
प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु कुछ देर पश्चात प्रस्तुत
हो।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी.,गोहद

पुनश्च :-

पक्षकार पूर्ववत् उपस्थित।
प्रशिक्षित मीडिएटर से मीडिएशन सफल होने की रिपोर्ट
प्राप्त।
इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक रामवीर पुत्र
लच्छीराम, निवासी :- ग्राम भड़ेरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड
स्वयं उपस्थित। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री पंकज

मिश्रा द्वारा की गई। अभिलेख के आधार पर भी पहचान के संबंध फरियादी से पूछताछ की गई, जिससे न्यायालय उसकी पहचान के संबंध में संतुष्ट है।

फरियादी/आवेदक ने उपस्थित होकर अभियुक्त पर लगे धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक रामवीर सिंह अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का न्यायालय की अनुमति से शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

शिवानी शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद